



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

Ph- : 0751-2970519(0) 0751-2970522 (Fax)
E-mail- registrar@rvskvv.net

कुलसचिव

क्र./कु.स./प्रशा./2025-26/1038

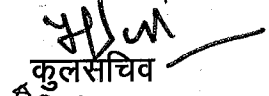
दिनांक: 30/06/2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद की 67वीं बैठक दिनांक 24.06.2025 के पद क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कांट्रेक्टुअल/रिटायर्ड शिक्षकों के विश्वविद्यालयीन कार्य से यात्रा पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.04.2025 व अन्य समन्यक पत्रक के अंतर्गत 'C' श्रेणी (6th वेतनमान में ग्रेड पे 4200 से 6600 अथवा 7th वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल 10 से 12) अनुसार यात्रा भत्ता तथा यात्रा संबंधी अन्य पात्रता अनुसार लाभ दिये जाने का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

संलग्न- उपरोक्तानुसार वित्त विभाग, म.प्र. शासन का ज्ञापन

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

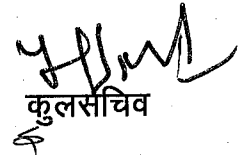

कुलसचिव

दिनांक: 30/06/2025

पृष्ठा. क्र. कु.स./प्रशा./2025-26/1039

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. निदेशक अनुसंधान सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
3. निदेशक विस्तार सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
4. निदेशक शिक्षण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
5. लेखानियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
6. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सिहोर/खंडवा/मंदसौर
7. उप कुलसचिव (स्था./शैक्ष.), रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर वि.वि. पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।


कुलसचिव

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय - भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 /2025 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षण।
संदर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-11/2013/नियम/ चार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2013 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम ₹ 50,000 / - (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है।

2/ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3/ अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगी।

4/ यह आदेश दिनांक 01.04.2025 अथवा इसके उपरांत के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव,

म.प्र. शासन वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
31. गार्ड फाईल ।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय - भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 /2025 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, खालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को देय अव्यवसायिक भत्ता का पुनरीक्षण
विषयक।

संदर्भ - म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/ चार, भोपाल,
दिनांक 09 नवम्बर, 2012

राज्य शासन द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस प्रतिबंध के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया है। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान के अनुक्रम में पात्र चिकित्सकों को वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 25 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन चिकित्सकों को वर्तमान में अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान के मेट्रिक्स लेवल में निर्धारित मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाये।

3/ चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत करने संबंधी अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावशील रहेंगी।

4/ यह आदेश, दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकार्थुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।
31. गार्ड फाईल ।


(अभिषेक चौहान)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2025/नियम / चार

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ 11-12/2010/नियम/चार दिनांक 01 सितम्बर 2012

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया है -

क्र.	शहर / कस्बे की श्रेणी	गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर (प्रतिशत)
1	2	3
1	7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%
2	3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7%
3.	3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5%

2/ यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।



3/ निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी :-

(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।

(ग) संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्म तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त ।

4/ गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी ।

5/ उपरोक्तानुसार गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावशील होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पृ. क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार
प्रतिलिपि -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल

15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्गेषित ।
31. गार्ड फाईल ।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
बल्लभ भवन मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ 4-1/2025/ नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, खालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर देय दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण।
संदर्भ- वित्त विभाग का पत्र क्र. एफ 4-7/2009 /नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

वित्त विभाग के उपर्युक्त विषयांकित एवं संदर्भित परिपत्र द्वारा शासकीय सेवकों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरे कार्य भत्ता की पात्रता है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित दोहरा कार्य भत्ता को एतद् द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :-

“शासकीय सेवक द्वारा जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो अथवा उनके मूल पद से सेवाभर्ती नियमों के अनुसार आगामी पद के वेतनमान (मेट्रिक्स लेविल) में प्रारंभिक मूल वेतन जो भी कम हो पर देय एक वेतनवृद्धि के तुल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा”।

2/ ऐसे प्रकरण, जिनमें संबंधित भर्ती नियमों में आगामी उच्च पद का उल्लेख नहीं है, म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की वेतन संरचना अनुसार अगले उच्च क्रम के वेतनमान (मेट्रिक्स लेविल) को विचार में लिया जाएगा।

3/ शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4/ यह आदेश दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, विन्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेपित ।
31. गार्ड फाईल ।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन।

संदर्भ :- वित्त विभाग का जापन क्रमांक एफ 4-2/2016/ नियम / चार, दिनांक 5 नवम्बर 2016।

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ता की दर एवं देय भत्तों का निर्धारण वित्त विभाग के सन्दर्भित आदेश दिनांक 5 नवम्बर 2016. द्वारा किया गया है।

2/ संदर्भित दिशा -निर्देश को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

(2.1) **कर्मचारियों / अधिकारियों का वर्गीकरण** - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेविल
ए	मेट्रिक्स लेविल 14 एवं अधिक
बी	मेट्रिक्स लेविल 13 एवं अधिक पर लेविल 14 से कम
सी	मेट्रिक्स लेविल 10 एवं अधिक पर लेविल 13 से कम
डी	मेट्रिक्स लेविल 06 एवं अधिक पर लेविल 10 से कम
ई	मेट्रिक्स लेविल 06 से कम

(2.2) **वाहन भत्ता**- ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या निकटस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वयं के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है जिसके लिये उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती है, ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों के पूरक

नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दर निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

(₹ प्रतिमाह)

शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत (किलोमीटर)	स्वयं की मोटरकार से	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
201 से 300	1350	550
301 से 450	2050	750
451 से 600	2500	950
601 से 800	3000	1100
800 से अधिक	3700	1250

(2.3) **समेकित दैनिक भत्ता-** समेकित दैनिक भत्ते की दर पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद कानपुर एवं पुणे के लिये विशेष दर
1	2	3	4
ए	375	550	750
बी	300	440	600
सी	225	330	450
डी	185	280	375
ई	125	190	260

8

(2.4) यात्रा के साधन -लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु निम्नानुसार पात्रतायें निर्धारित की जाती हैं:-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाडी से यात्रा	बस से यात्रा
1	2	3	4
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एकजीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एकजीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4-5/2011 / नियम / चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जो वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में मेट्रिक्स लेविल 13 अथवा इससे अधिक लेविल के अंतर्गत निर्धारित है, ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होंगे।

माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज की एकजिक्यूटिव क्लास / बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी।

(2.5) **मील भत्ता**- पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹ में	अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ में
1	2	3	4
1.	ए श्रेणी के कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	9/-	18300/-
2.	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	4/-	3700/-
3.	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	2/-	880/-

२

(2.6) ठहरने की पात्रता - यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चैन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे .	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के (कॉलम 2 को छोड़कर) स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर.	प्रदेश के बाहर / महानगर में मित्र / रिश्तेदार के यहां ठहरने पर	म.प्र. पर्यटन विकास निगम के होटल / मोटल के लिये पात्रता
1	2	3	4	5	6
ए.	7400	5500	3700	750	ए. सी. डीलक्स कक्ष / ए.सी. कक्ष
बी	5500	4000	2750	660	ए.सी. कक्ष
सी	3700	2800	1850	550	-
डी	2000	1400	920	450	-
ई	1000	700	450	370	-

टीप - उक्त तालिका के कॉलम - 6 अनुसार शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपरोक्त दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा । श्रेणी 'सी', 'डी' एवं 'ई' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवास पर ए. सी. कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जाएगी ।



(2.7) प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय -

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)
1	2	3	4
1	ए	2200	500
2	बी	1500	380
3	सी	1000	300
4	डी	600	200
5	ई	300	100

(2.8) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन- शासकीय सेवक के जनहित में स्थानान्तरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
1	"ए" एवं "बी"	40
2	"सी" एवं "डी"	25
3	"ई"	15

(2.9) स्थानान्तरण अनुदान शासकीय सेवक का जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
1	ए	6500
2	बी	5000
3	सी	3600
4	डी	2500
5	ई	1800



- 3/ यह आदेश दिनांक 01-04-2025 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा। अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।
- 4/ मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल
14. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
18. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
19. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
20. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गौमंतिका परिसर, भोपाल
21. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
22. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
24. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल

25. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
26. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
27. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
28. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
29. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
30. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
31. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
32. गार्ड फाईल ।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 4-1 /2025/ नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, खालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवकों को स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 4-3/2011/ नियम/चार, दिनांक 02 अगस्त, 2011 में शासकीय सेवकों के प्रवर्गों को स्वीकृत स्थायी यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

(प्रतिमाह राशि रुपये में)

क्र. 1	कर्मचारी का प्रवर्ग 2	पुनरीक्षित दर 3
1	राजस्व निरीक्षक	630/-
2	विक्रय अमीन	630/-
3	सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रामसेवक)/सहायक विकास विस्तार अधिकारी	630/-
4	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	630/-
5	पंचायत समन्वय अधिकारी	630/-
6	जिला और तहसीलों में राजस्व भृत्य तथा जमादार	525/-
7	वन विभाग के चेनमेन	525/-
8	राजस्व, न्यायालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर	525/-
9	पटवारी (राजस्व विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले)	525/-
10	जिला कार्यकारी वन के प्रधान आरक्षक	420/-
11	जिला कार्यकारी वन के आरक्षक	260/-

2/ उपरोक्तानुसार स्थायी यात्रा भत्ता की पात्रता उन शासकीय सेवकों को होगी, जो ऐसे पदों / स्थानों पर पदस्थ हैं, जहां गहन यात्रा करना आवश्यक हो।

3/ उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 अप्रैल 2025 (भुगतान माह मई, 2025) से प्रभावशील होंगी।

4/ स्थाई यात्रा भत्ता स्वीकृति के लिये अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
31. गार्ड फाईल।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग